

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (VIDISHA), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांक/स्कूल आई.डी. - 31202211/31632
प्रति,

दिनांक:- 03/01/2017

प्रबंधक,

(BHARAT MATA CONVENT SR. SEC SCHOOL)

विषय: नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रचोजन के त्रिप नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिका: नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -BHARAT MATA CONVENT SR. SEC SCHOOL, BARETH ROAD GANJ BASODA को कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यतासंबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वरिष्ठ समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दबा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि-शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्त व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्त सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पचोत्तर प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (पि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) से (ग) के उपबंध पि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवस्था की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सहायतास्कूल कोई भी कॅम्पिटेशन रीस का संघर्ष नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा:
 - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से घटावित न किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शिक्षक/शिक्षिका आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम उर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम उर्हता प्राप्त करनी होगी ;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कक्षाओं का पालन करना होगा;
 - प्रायवैट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यपत्रों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

Kee Pokar
Manager

Bharat Mata Convent Senior

Principal
Principal

Bharat Mata Convent Senior
Secondary School, Ganj Basoda

57

19

School Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal (www.educationportal.mp.gov.in)

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

| सुविधाएँ | पोस्ट में दर्जे | वास्तविक स्थिति |
|--|-----------------|-----------------|
| 8 स्कूल के भवन की स्थिति | स्वयं का भवन | स्वयं का भवन |
| 9 स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 140263 | 140263 |
| 10 स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 308838 | 308838 |
| 11 खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 771772 | 771772 |

इ. अधीनसंरचना का विवरण

| कक्षा | Rooms as per RTE | पोस्ट में दर्जे | | वास्तविक स्थिति | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) | संख्या | औसत आकार (वर्ग फीट में) |
| 1 कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्षा | | 45 | 540 | 45 | 540 |
| 2 कार्यलय कक्षा-सह-अंगणार कक्षा-सह-पद्यालय/यापक कक्षा | | 5 | 360 | 5 | 360 |
| 3 शौचालय-सह-अंगणार | | 0 | 0 | 0 | 0 |

घ. अन्य सुविधाएँ

| सुविधाएँ | पोस्ट में दर्जे | वास्तविक स्थिति |
|--|-----------------|-----------------|
| 1 क्या सभी सुविधाएँ तक पहुंच बनाए रखे हैं ? हां/नहीं | हां | हां |
| 2 पठन पाठ्य सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें) | हां | हां |
| 3 खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें) | हां | हां |
| 4 पुस्तकों की संख्या | 7032 | 7032 |
| 5 पब्लिशिंग/सलाकार पत्र | 9 | 9 |
| 6 ट्यूबवेल सुविधा का प्रकार | Tube Well | Tube Well |
| 7 ट्यूबवेल सुविधा की संख्या | 90 | 90 |
| 8 शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/दोनों) | Indian | Indian |
| 9 लड़कों के लिए पुरुष शौचालयों की संख्या | 16 | 16 |
| 10 लड़कियों के लिए पुरुष शौचालयों की संख्या | 16 | 16 |
| 11 विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या | 0 | 0 |
| 12 क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं | हां | हां |

- लेखे अप्रैप्रीसिएट किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेड व्यक्त सत्यापित होंगे और उचित सेवा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखे/अप्रीप्रीसिएट की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..31202211.. एवं डाईसेकोड (DISE) 23310128337 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसे रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा बौद्धि/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्याय, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

[Signature]
 क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी
 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला VIDISHA मध्य प्रदेश

[Signature]
 Bharat Mata Convent Senior,
 Secondary School, Gony Basoda
 Distt. Vidisha, M.P.-464221, INDIA

[Signature]
 Principal
 Bharat Mata Convent Senior
 Secondary School, Gony Basoda
 Distt. Vidisha, M.P. - 464221, INDIA



आवेदन क्रमांक: 9531632

नाम: BHARAT MATA CONVENT SR SEC SCHOOL

आवेदन दर्ज तिथि:

आवेदन संक तिथि: 31/1/2020 12:59:00 PM

प्रारूप 1

(नियम 11(1) देखिए)

स्कूल की मान्यता के लिए स्व घोषणा - सह-आवेदन

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता

वर्ष - 2020-21



दिनांक: 11/03/2020

राष्ट्रिय संस्था का कोड: 716663

प्रति,

विद्या शिक्षा अधिकारी

विद्या - विदिशा, मध्य प्रदेश

संस्थान से: विकास सशुभ प्राथमिक शिक्षा अधिकारी(BRC), BASODA

महोदय,

आवेदन में वि.संस्क और अधिपार्य बाल विद्या का अधिनियम, 2009 की अनुसूची में विहित अधिनियम एवं मानकों का पालन करने संबंधी स्व-घोषणा स्कूल - BHARAT MATA CONVENT SR SEC SCHOOL को मान्यता प्रदान करने के लिए विहित कथन में आवेदन अधिपार्य करने हेतु।

संलग्न:

सबदीय,

इलाहाबाद

प्रबंध समिति के अध्यक्ष / प्रबंधक / प्राचार्य
नाम Ganji Basode

विद्यालय का नाम -
BHARAT MATA CONVENT SR SEC SCHOOL
Bharat Mata Convent Senior
Secondary School, Ganj Basoda
Distt. Vidisha, M.P. - 464221, INDIA

Rachha Joshi

Manager

Bharat Mata Convent Senior
Secondary School, Ganj Basoda
Distt. Vidisha, M.P.-464221, INDIA

Rachha Joshi

Principal

Bharat Mata Convent Senior
Secondary School, Ganj Basoda
Distt. Vidisha, M.P. - 464221, INDIA